



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2701]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 17, 2016/कार्तिक 26, 1938

No. 2701]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 17, 2016/KARTIKA 26, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2016

**का.आ. 3464(अ).**—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 435 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, निम्नलिखित न्यायालय को कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास के साथ दंडनीय अपराधों की शीघ्र सुनवाई का प्रावधान करने के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित करती है, अर्थात्—

तालिका

क्र. सं.	विद्यमान न्यायालय	विशेष न्यायालय के रूप में अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1	जिला एवं सेशन न्यायाधीश का न्यायालय, शिलांग	मेघालय राज्य

2. स्तंभ संख्या (2) में उल्लिखित उपर्युक्त न्यायालय स्तंभ संख्या (3) में उल्लिखित अधिकारिता के संबंध में विशेष न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करेंगे।

[फा. सं. 01/12/2009-सीएल-I (खंड-IV)]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th November, 2016

**S.O. 3464(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 435 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Meghalaya, hereby designates the following Court as Special Court for the purposes of providing speedy trial of offences punishable with imprisonment of two years or more under the Companies Act, 2013, namely:-

**TABLE**

Sl. No.	Existing Court	Jurisdiction as Special Court
(1)	(2)	(3)
1	Court of District and Sessions Judge, Shillong.	State of Meghalaya

2. The aforesaid Court mentioned in column number (2) shall exercise the jurisdiction as Special Court in respect of jurisdiction mentioned in column number (3).

[F. No. 01/12/2009-CL-I (Vol.IV)]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.